राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर।
पीठासीन अधिकारी– राम रतन सौंकरिया रा.प्र.से.

अपील सं. 11/2021

उनवान

नारायण सिंह पि. मु. पाबूदान सिंह (सुगनी) जाति राजपूत निवासी कावनी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. गुरूदयाल सिंह — पुत्रगण परवाराम जाति हरिजन निवासी भादसोन तहसील व जिला करनाल हरियाणा।
2. शमशेरसिंह —
3. सुनहरी देवी पत्नी परवाराम जाति हरिजन निवासी भादसोन तह0 व जिला करनाल हरियाणा।
4. लालसिंह पुत्र रामराव जाति हरिजन निवासी भादसोन तहसील व जिला करनाल हरियाणा।
5. राजस्थान राज्य जरिये उपनिवेशन तहसील गजनेर मु. कोलायत।

——रेस्पोडेन्टान

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 27.07.2021 सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर

उपस्थिति–

प्रार्थी(रेस्पोडेन्ट) की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री राजेश बैद
अप्रार्थी(अपीलांट) की ओर से– पैरोकाराज

निर्णय दिनांक :– 02.01.23

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। अपील अपीलान्ट की ओर से वकील श्री राजेश बैद द्वारा धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत आदेश दिनांक 27.07.2021 सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलांट द्वारा पेश अपील मीमो के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

1. अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील न्याय, साम्य एवं प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धांतों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है।
2. अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों व कानून पर गौर किये बिना मनमाने व स्वेच्छाचारी तरीके से आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।
3. अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं रेस्पोडेन्टान के तथाकथित विक्रय पत्र उन अधिकारों के समक्ष प्रभावहीन व

ADL

शून्य है। इस आशय का एक घोषणात्मक एवं चिरस्थाई निषेधाज्ञा का दावा सन् 2012 में प्रस्तुत किया। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी महोदय ने उक्त दावे में विस्तृत कानूनी बिन्दूओं पर बहस समाहत करने हेतु अपीलान्ट को आदेशित किया। जिस पर अपीलान्ट ने आदेशों की पालना करते हुए विस्तृत बहस समाहत की। तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी महोदय ने दिनांक 19.03.2015 को उक्त दावा दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दावे के प्रथम पन्ने की पुस्त पर अंकित किये। लेकिन दावा लम्बे समय तक दर्ज रजिस्टर नहीं किया गया। इस पर समय–समय पर अपीलान्ट ने अपने अभिभाषक के जरिये अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये।

4. तत्पश्चात् भी लम्बे समय तक दावा दर्ज रजिस्टर ना होने पर पुनः दिनांक 02.7.19 को पत्रावलियां पेशी में लेने हेतु निवेदन किया। जिस पर सिगेदार की रिपोर्ट होने के पश्चात् तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण समूचित आदेश नहीं हो सके। फिर पुनः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावलियों की पडताल कर निवेदन किया तो अधीनस्थ न्यायालन ने दिनांक 26.07.2021 को दावा दर्ज रजिस्टर करने हेतु पुनः बहस सुनी तथा आदेश जैर अपील के जरियें दावा L is Pendence Res Judicata के सिद्धांत पर निरस्त कर दिया। जो कानून के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
5. अधीनस्थ न्यायालय को दावे को विचारित करने की प्रक्रिया के तहत सर्वप्रथम दावा दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टान को जरिये नोटिस तलब करना था। जो प्रस्तुत प्रकरण में नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को जिस आधार पर निरस्त करने के आदेश दिये है, वो सैद्धांतिक बिन्दू विधि और तथ्यों का मिश्रित प्रश्न है। जिसे प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रकरण में बाद साक्ष्य ही उक्त बिन्दू को विचारित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार आदेश जैर अपील पूर्णतयाः कानून के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
6. अपीलान्ट ने अपने दावें में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा व अपने खातेदारी अधिकारों के समक्ष तथाकथित विक्रय पत्र नल एण्ड वाईड होने का अनुतोष चाहा था। अपीलान्ट ने न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्य पूर्ण विस्तार से अंकित किये थे। जिनको मनमाने व स्वेच्छाचारी तरीके से तोड मरोड कर अंकित करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।
7. अधीनस्थ न्यायालय ने जिस सैद्धान्तिक बिंदू पर दावा निरस्त किया है। उस सैद्धान्तिक बिन्दू के लिये आवश्यक है कि पूर्व निर्णय उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी वादगत भूमि को लेकर उसी वाद कारण हेतु तैय किया गया हो तो उन्हीं पक्षकारों के बीच पुनः नया दावा नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में यह परिस्थितियां है ही नहीं। रेस्पोडेन्टान ने पूर्व में मात्र राजस्थान राज्य को पक्षकार बनाते हुए तथाकथित विक्रय पत्रों के आधार पर निर्णय एवं डिग्री प्राप्त किया। जिसके विरूद्ध तत्समय अपीलान्ट के सक्षम न्यायालय, न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर रखी थी। उक्त निर्णय एवं डिग्री की छायाप्रति भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसमें अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया। इससे स्पष्ट है कि "प्राक्न्याय एवं पूर्व न्याय" का सैद्धान्तिक बिन्दू प्रस्तुत

BdL

प्रकरण में आकर्षित ही नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पूर्णतयाः कानून के प्रावधानों के विपरीत पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने खातेदारी अधिकरों की घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत किया है, जो उसके वैधानिक अधिकारों के लिये अत्यन्त आवश्यक है। अपीलान्ट ने पूर्व में इस आशय का कोई वाद किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया, ना ही अपीलान्ट के वैधानिक अधिकार किसी भी न्यायालय द्वारा विचारित किये गये। इसलिए प्रस्तुत प्रकरण में सैद्धान्तिक बिन्दू "प्राक्न्याय एवं पूर्व न्याय" आकर्षित ही नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने व स्वेच्छाचारी तरीके से मात्र दावे को दर्ज कर विचारित करने से बचने के उद्देश्य से आदेश जैर अपील पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट का दावा दर्ज रजिस्टर कर विचारित करने के आदेश प्रदान करें।

वकील अपीलांट को सुना गया। बहस का मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतित होता है कि प्रकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत का निर्णय दिनांक 27.07.2021 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रेषित किया जाता है कि अपील दर्ज कि जाकर उभय पक्ष को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 02.1.23 सरे इजालस सुनाया जाकर मेरे मुहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेश एवं
राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर